



5. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दश में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमन्य नहीं होगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।
7. उक्त प्रायोजना की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व कार्यदायी संस्था/सम्बन्धित डूडा का होगा।
8. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
9. उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व सूडा द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजनाओं के आगणनों का गठन वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 04.04.2008 के अनुरूप है तथा उसमें कार्य विशेष की लागत सीमा को कम करने के उद्देश्य से अथवा प्रायोजना के स्कोप को कम करके अथवा प्राविधानों को कम करके लागत आंकलित नहीं की गई है।
10. उक्त धनराशि यथासमय सम्बन्धित डूडा इकाई (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त परियोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है, जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत धनराशि तत्काल राजकोष में जमा कराकर शासन को सूचित किया जायेगा।
11. प्रश्नगत परियोजना से सम्बन्धित कार्यों की द्वािावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, यह सूडा/डूडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
12. प्रश्नगत परियोजनाओं हेतु स्वीकृति की गयी धनराशि के अन्तर्गत ही समस्त परियोजनाओं को पूर्ण किये जाने का दायित्व सूडा/डूडा का होगा। उक्त परियोजनाओं हेतु कोई अतिरिक्त धनराशि देय नहीं होगी।
13. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र0, लखनऊ द्वारा प्रमुख सचिव/सचिव अथवा विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।
14. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
15. सेन्टेज चार्जेज (अधिष्ठान व्यय) की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25.01.2011 में जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के क्रम में सुसंगत लेखा शीर्ष में जमा किया जायेगा।
16. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अवश्य करा लिया जाये और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि, यदि कोई हो तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।
17. उक्त योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि में से उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी जितनी 31 मार्च, 2017 तक व्यय हो सके।

2. उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-"2217-शहरी विकास-आयोजनागत-04-गंदी बस्तियों का विकास-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-04-शहरी क्षेत्रों की मलिन बस्तियों में सी0सी0रोड/इण्टरलाकिंग नाली आदि सामान्य सुविधाओं के निर्माण कार्य-00-35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.2016 तथा समय-समय पर प्राप्त निर्देशों के तहत जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय  
(एच0पी0 सिंह)  
विशेष सचिव।

संख्या-618 /2016/1956 (1)/69-1-2016. तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, 30प्र0,20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, 30प्र0, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
3. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, 30प्र0 शासन।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, गोरखपुर।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (ई-8) अनुभाग, 30प्र0 शासन।
7. नियोजन अनुभाग-4, 30प्र0 शासन।
8. समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, 30प्र0 शासन।
9. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र0, लखनऊ।
10. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेब साइट पर अपलोड कराने हेतु।
11. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,  
(एच0पी0 सिंह)  
विशेष सचिव।

शासनादेश संख्या- 618 /2016/1956/69-1-16-41(म0ब0-83)/2016 दिनांक 29 सितम्बर, 2016 का संलग्नक।

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	निकाय एवं नगर पंचायत का नाम	बस्ती एवं वार्ड का नाम	परियोजना की कुल आंगणित लागत।	प्रथम किस्त (50 प्रतिशत) के रूप में स्वीकृति की जा रही धनराशि।
1	2	3	4	5	6
1	गोरखपुर	नगर निगम, गोरखपुर	वार्ड नं0 09 करीमनगर में शेखर के घर से बबलू के घर होते हुए जितेन्द्र एवं बैजनाथ के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	11.82	5.91
2	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 09 करीमनगर में डी0के0 सिंह के घर से बिट्टू के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	14.73	7.365
3	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 09 करीमनगर में रहीश अहमद के घर से राजेन्द्र चौधरी के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	14.95	7.475
4	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 09 करीमनगर में लालसा निषाद के घर से धवन, कान्ती देवी, एवं सोनू के घर होते हुये गोपाल के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	11.92	5.96
5	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 09 करीमनगर में कमलेश के घर से संजय, राजेन्द्र एवं कब्रिस्तान होते हुए कुशवाहा हास्टल तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	15.98	7.99
6	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 09 करीमनगर में अविनाश के घर से उर्मिला देवी एवं पिच रोड होते हुये कन्हैया के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	7.83	3.915
7	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 09 करीमनगर में रजनीश के घर से लीलावती देवी के घर व पार्क के चारों तरफ होते हुए वशिष्ठ नारायण के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	12.53	6.265
8	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 09 करीमनगर में श्री राम के घर से कोयल, पूर्णवासी, विजय के घर एवं मन्दिर होते हुए बाले के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	14.74	7.37
9	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 09 करीमनगर में बी0के0 द्विवेदी के घर से राम सजीवन के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	12.94	6.47
10	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 09 करीमनगर में के0के0 इण्टरप्राइजेज से पप्पू चौधरी के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	11.43	5.715
11	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 04 मोहरीपुर में आलोक यादव के घर से पाण्डेय के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	7.61	3.805
12	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 09 करीमनगर में चन्द्रभान पासवान के घर से जालान फैक्ट्री तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	59.37	29.685
13	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 04 मोहरीपुर में पी0डब्ल्यू0डी0 रोड से रैन बसेरा तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	4.75	2.375

14	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 04 मोहरीपुर में उमा शंकर के घर से तारादेवी के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	22.87	11.435
15	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 04 मोहरीपुर में बाँके के घर से परशुराम के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	6.68	3.34
16	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 04 मोहरीपुर में विक्रम के घर से श्री रमेश के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	17.71	8.855
17	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 04 मोहरीपुर में श्री राजेश के घर से राम निवास व संजय के घर होते हुए भारती स्कूल के पीछे तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	12.84	6.42
18	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 04 मोहरीपुर में जय राम के घर से रमेश के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	4.07	2.035
19	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 04 मोहरीपुर में राम लखन के घर से दिवाकर की दुकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	18.02	9.01
20	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 09 करीमनगर में गुड़डी देवी के घर से संदीप निगम के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	26.09	13.045
21	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 09 करीमनगर में तीरथ के घर से अंकित के घर होते हुए रामदत्त के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	7.40	3.70
योग				316.28	158.14

(रूपये एक करोड़ अठ्ठावन लाख चौदह हजार मात्र)।

*hpsl*  
 (एच0पी0 सिंह)  
 विशेष सचिव।

<http://shasanadeshpune.in>